न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 97/2023/अपील/एलआरएक्ट/बारां
दायरा दिनांकः 07.06.2023
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

महेन्द्र सिंह पुत्र मस्सा सिंह, जाति जाट सिक्ख, निवासी–बादीपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राजस्थान) जरिये कायममुकामान

1. गुरूचरण सिंह आत्मज स्व० महेन्द्र सिंह,
2. विजेन्द्र सिंह आत्मज स्व० महेन्द्र सिंह,
3. भगवान सिंह आत्मज स्व० महेन्द्र सिंह,
4. बख्शीश सिंह आत्मज स्व० महेन्द्र सिंह,
5. कश्मीर सिंह आत्मज स्व०. महेन्द्र सिंह,
6. सुखविन्दर कौर पुत्री स्व० महेन्द्र सिंह,
7. सिमरजीत कौर पुत्री स्व० महेन्द्र सिंह,
8. चरणजीत कौर पुत्री स्व० महेन्द्र सिंह,
9. सरजीत कौर पत्नी स्व० महेन्द्र सिंह,
10. मलकीत सिंह पुत्र स्व० मक्खन सिंह,
11. अवतार सिंह पुत्र स्व० मक्खन सिंह,
12. देवेन्द्र जीत पुत्री स्व० मक्खन सिंह,
13. कमलजीत कौर पत्नी मक्खन सिंह,

निवासीगण बादीपुरा, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राजस्थान)

...अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राजस्थान)

...रेस्पो0

उपस्थित : श्री अमित शर्मा अभिभाषक :– अपीलांट्स
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 08.04.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहबाद (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 19/2018 बउनवान महेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 26.04.2022 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इन्तकाल संख्या 173 ग्राम डोब आदेश दिनांक 10.01.2013 के विरूद्ध अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये जाने पर खोला गया नामांतरकरण 173 दिनांक 10.01.2013 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट निर्णय दिनांक 26.04.2022 से खारिज की गई।

2. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहबाद (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 19/2018 बउनवान महेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 26.04.2022 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील पेश कर कथन किया गया कि अपीलान्ट्स की कृषि भूमि खसरा नं0 27 की रकबा 13 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम डोब, तहसील किशनगंज, जिला बारां (राजस्थान) में स्थित है तथा अपीलान्ट्स इस कृषि भूमि पर बहैसियत खातेदार/कृषक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उपरोक्त आराजी अपीलान्ट्स के पक्ष में पत्रावली सं० 150/1969 उनवानी सरकार बनाम महेन्द्र सिंह आदेश दिनांक 14.02.1969 के द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में नियमन कर अपीलान्ट के खाते दर्ज की गई थी। तब से ही अपीलान्ट्स इस कृषि आराजी पर बहैसियत मालिक कृषक काबिज हैं। इन्तकाल नं0 173 के द्वारा उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी सरकार के द्वारा दिनांक 10.01.2013 को वन विभाग के खाते दर्ज की गई। उपरोक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट के द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर शाहबाद जिला बारां के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, उपरोक्त अपील माननीय न्यायालय के द्वारा सरसरी तौर पर दिनांक 26.04.2022 को खारिज कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.04.2022 रिकॉर्ड एवं तथ्यों की विवेचना किये बिना पारित किया गया है तथा उक्त निर्णय किसी भी प्रकार से स्पीकिंग ऑर्डर की परिभाषा में नहीं आता है, इसलिये उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट्स के खाते एवं कब्जेकाश्त की भूमि को सेट अपार्ट कर वनविभाग को आवंटित किये जाने के पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई

का कोई नोटिस नहीं दिया तथा ना ही राज्य सरकार अथवा जिला कलेक्टर के द्वारा अपीलान्ट्स के खाते की भूमि को विधिवत रूप से अधिगृहण करने की कोई कार्यवाही की गई तथा अपीलान्ट्स को इस भूमि का कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया और ना ही सेट अपार्ट किये जाने का कोई नोटिस ही दिया। रेस्पोडेन्ट के द्वारा की गई समस्त कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण समस्त कार्यवाही विधि विरूद्ध है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, शाहबाद, जिला बारां का आदेश दिनांक 26.04.2022 निरस्त किया जावें तथा इन्तकाल नं० 173 को निरस्त किया जाकर उपरोक्त वर्णित आराजी अपीलान्ट्स के खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत आराजी अपीलान्ट्स के पक्ष में पत्रावली सं० 150/1969 उनवानी सरकार बनाम महेन्द्र सिंह आदेश दिनांक 14.02.1969 के द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में नियमन कर अपीलान्ट के खाते दर्ज की गई थी, तब से ही अपीलान्ट्स इस कृषि आराजी पर बहैसियत मालिक कृषक काबिज हैं। इन्तकाल नं0 173 के द्वारा उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी सरकार के द्वारा दिनांक 10.01.2013 को वन विभाग के खाते दर्ज कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.04.2022 रिकॉर्ड एवं तथ्यों की विवेचना किये बिना पारित किया गया है। अपीलान्ट्स के खाते एवं कब्जेकाश्त की भूमि को सेट अपार्ट कर वनविभाग को आवंटित किये जाने के पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई नोटिस नहीं दिया तथा ना ही राज्य सरकार अथवा जिला कलेक्टर के द्वारा अपीलान्ट्स के खाते की भूमि को विधिवत रूप से अधिगृहण करने की कोई कार्यवाही की गई तथा अपीलान्ट्स को इस भूमि का कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया और ना ही सेट अपार्ट किये जाने का कोई नोटिस ही दिया। रेस्पोडेन्ट के द्वारा की गई समस्त कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण समस्त कार्यवाही विधि विरूद्ध है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, शाहबाद, जिला बारां का आदेश दिनांक 26.04.2022 निरस्त किया जावें तथा इन्तकाल नं० 173 को

निरस्त किया जाकर उपरोक्त वर्णित आराजी अपीलान्ट्स के खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत (2011) 10 SCC Page No. 714, AIR2718 SC, Raj S. Jethmalani & Ors vs State of Maharashtra & Ors on 5 May, 2005 पेश किये।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट के द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये जाने पर खोला गया नामांतरकरण 173 दिनांक 10.01.2013 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट निर्णय दिनांक 26.04.2022 से खारिज की गई। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

6. अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ शपथ पत्र पेश कर अपील को अवधि मध्य मानी जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया गया ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर/साक्ष्य पेश किया गया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. हमने पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली को अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इन्तकाल संख्या 173 ग्राम डोब आदेश दिनांक 10.01.2013 के विरूद्ध अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये जाने पर खोला गया नामांतरकरण 173 दिनांक 10.01.2013 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट निर्णय दिनांक 26.04.2022 से खारिज की गई। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि प्रश्नगत आराजी अपीलान्ट्स के पक्ष में पत्रावली सं० 150/1969 उनवानी सरकार बनाम महेन्द्र सिंह आदेश दिनांक 14.02.1969 के द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में नियमन कर अपीलान्ट के खाते दर्ज की गई थी, तब से ही अपीलान्ट्स इस कृषि आराजी पर बहैसियत मालिक कृषक काबिज हैं। इन्तकाल नं0 173 के द्वारा उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी सरकार के द्वारा

दिनांक 10.01.2013 को वन विभाग के खाते दर्ज कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.04.2022 रिकॉर्ड एवं तथ्यों की विवेचना किये बिना पारित किया गया है। अपीलान्ट्स के खाते एवं कब्जेकाश्त की भूमि को सेट अपार्ट कर वनविभाग को आवंटित किये जाने के पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई नोटिस नहीं दिया तथा ना ही राज्य सरकार अथवा जिला कलेक्टर के द्वारा अपीलान्ट्स के खाते की भूमि को विधिवत रूप से अधिगृहण करने की कोई कार्यवाही की गई तथा अपीलान्ट्स को इस भूमि का कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया और ना ही सेट अपार्ट किये जाने का कोई नोटिस ही दिया।

8. प्रस्तुत प्रकरण में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपीलांट द्वारा अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में अपने पक्ष साबित करने हेतु कोई दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय हाजा में पेश नहीं किये गये हैं। जबकि अपीलीय प्रकरण में अपने हित साबित करने का भार अपीलार्थी स्वयं का हैं। अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि राज्य सरकार अथवा जिला कलेक्टर के द्वारा अपीलान्ट्स के खाते की भूमि को विधिवत रूप से अधिगृहण करने की कोई कार्यवाही की गई है तो अपीलान्ट्स को इस भूमि का कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया, इस संबंध में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टात जो निम्नानुसार प्रतिपादित किये गये हैं :–

(2011) 10 SCC Page No. 714 :- Land Acquisition and Requsition - J&K Land Acquisition Act, 1990 (10 of 1990 Smvt.) (1934 AD) -Ss. 4(1)(a), (b) & (c), 5-5-A, 6 and 9 - Compliance wih Ss-4(1), (b) & (c) - Mandatory nature of compliance with all three requirements of modes of notice of acquisition - Expression "Collector shall notify" occuring in S. 4(1) - COnnotation of - Held, said expression makes it clear that procedure provided in Ss. 4(1)(a), (b) and (c) is mandatory and has to be strictly compied with - Land Acquisition Act, 1894- Sx. 4, 9 and 5-A- Constitution of India , Art. 300-A

AIR2718 SC :- Land Acquisition Act (1 of 1894) - Acquisition notification - Requirment of giving public notice - Mandatory - Acquisition made without publishing notification in public place in which land is located- Is null and void.

इस प्रकार अपीलांट की ओर से प्रकरण में प्रस्तुत उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के संबंध में अपीलांट द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि नामांतरकण संख्या 173 दिनांक 10.01. 2013 से प्रश्नगत आराजी खसरा सं0 27 वाके ग्राम डोब तहसील किशनगंज बारां की किस्म बंजड़ को किस आदेश से वन विभाग के नाम दर्ज की गई है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा न

04/2025

तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने पक्ष के समर्थन में कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश किये और न हीं न्यायालय हाजा में यह साबित किया गया है तहसीलदार किशनगंज द्वारा खोला गया नामांतरकरण संख्या 173 ग्राम डोब आदेश दिनांक 10.01.2013 से किस प्रकार से हित प्रभावित होते है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.04.2022 न्यायोचित होने से हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहबाद द्वारा प्रकरण सं0 19/2018 बउनवान महेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 26.04.2022 न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 08.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

8/4/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा